# झारखण्ड सरकार
## जल संसाधन विभाग

पत्रांकः—3/पी०एम०सी०/कार्य/137/2016 ................................../राँची, दिनांकः .................

प्रेषकः

ई॰ राजेन्द्र प्रसाद,
उप सचिव (अभियत्रण)

सेवा में,

महालेखाकार
झारखण्ड,
पो॰—हिनू, राँची।

द्वाराः आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

**विषयः लघु सिंचाई प्रक्षेत्राधीन राँची जिला के चान्हो प्रखंड अंतर्गत मेलानी उद्वह सिंचाई योजना के निर्माण कार्य लागत राशि रू॰ 54.633 लाख (रू॰ चौवन लाख तिरसठ हजार तीन सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**

आदेश—स्वीकृत।

1. लघु सिंचाई प्रक्षेत्राधीन राँची जिला के चान्हो प्रखंड अंतर्गत मेलानी उद्वह सिंचाई योजना के निर्माण कार्य लागत राशि रू॰ 54.633 लाख (रू॰ चौवन लाख तिरसठ हजार तीन सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।
2. उक्त योजना के प्राक्कलन पर सक्षम पदाधिकारी द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्राप्त है।
3. उद्वह सिंचाई योजना में Construction of IntakeWell, Pump House, Outlet, Distribution Chamber, Mechanical fitting, Electrical Motor एवं Pump इत्यादि का प्रावधान किया गया है।
4. **योजना का प्राक्कलन मुख्यमंत्री जनसंवाद अंतर्गत दर्ज शिकायत के आधार पर तैयार किया गया है।**
5. इस कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति निम्न शर्त्तों के साथ प्रदान की जाती हैः—
   (i) उद्वह सिंचाई योजना का निर्माण झारखंड लोक निर्माण संहिता 2012 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत किया जाएगा।
   (ii) योजना के निर्माण के उपरान्त योजना के संचालन, रख—रखाव एवं विद्युत विपत्र भुगतान का दायित्व जल उपभोक्ता समिति का होगा।
   (iii) योजना के कार्यान्वयन के पूर्व एवं कार्य कराने के बाद कार्य स्थल का स्टिल फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी कराया जाएगा ।
   (iv) योजना का कार्य, कार्यस्थल पर विद्युत आपूर्ति उपलब्ध होने/विद्युत आपूर्ति बहाल होने की कार्रवाई समानान्तर रूप से चलने की स्थिति में ही प्रारम्भ किया जाएगा।
6. इस योजना के निर्माण होने से कुल 68 हे॰ (खरीफ—50 हे॰, रब्बी—18 हे॰) क्षेत्र में सिंचाई क्षमता सृजित होगी। इंसिडेन्स ऑफ कॉस्ट रू0 80342/— प्रति हे0 आकलित है।योजना का लाभ—लागत अनुपात 1.69 आकलित है।
7. इस योजना पर होने वाला व्यय बजट शीर्ष—"4702—लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय—796—जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना—19—नई लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण—विस्तृत शीर्ष—05 निर्माण—45— निर्माण कार्य" अंतर्गत प्राप्त बजट उपबंध के अधीन भारित होगा।
8. इस कार्य के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल राँची होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई राँची होंगे।
9. इस कार्य के क्रियान्वयन में विभाग द्वारा समय—समय पर निर्गत निर्देशो एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
10. झारखंड कोषागार संहिता के नियम—174 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।
11. किसी भी स्थिति में राशि की निकासी बजट उपबंध के अंतर्गत होगा।
12. प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

13. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

14. इसे आंतरिक वित्तीय सलाहकार, झारखण्ड सरकार के द्वारा महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
**(राजेन्द्र प्रसाद)**
उप सचिव (अभियंत्रण)

**पत्रांकः–3/पी०एम०सी०/कार्य/137/2016 ......................................./राँची, दिनांकः ...................**
प्रतिलिपिः प्रतिलिपिः प्रतिलिपिः योजना –सह– वित्त विभाग (योजना प्रभाग) झारखण्ड सरकार/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
**(राजेन्द्र प्रसाद)**
उप सचिव (अभियंत्रण)

**पत्रांकः–3/पी०एम०सी०/कार्य/137/2016 ......................................./राँची, दिनांकः ...................**
प्रतिलिपिः संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

**(राजेन्द्र प्रसाद)**
उप सचिव (अभियंत्रण)

**पत्रांकः–3/पी०एम०सी०/कार्य/137/2016 ......................................./राँची, दिनांकः ...................**
प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/उप सचिव(अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग/अधीक्षण अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन अंचल–3/अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल राँची/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल राँची/प्रशाखा पदाधिकारी–7, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित। संबंधित पदाधिकारी द्वारा सभी कंडिकाओं का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

ह0/–

**(राजेन्द्र प्रसाद)**
उप सचिव (अभियंत्रण)

**पत्रांकः–3/पी०एम०सी०/कार्य/137/2016 ......................................./राँची, दिनांकः ...................**
प्रतिलिपिः आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल राँची को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायकगण को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह0/–
**(राजेन्द्र प्रसाद)**
उप सचिव (अभियंत्रण)

**पत्रांकः–3/पी०एम०सी०/कार्य/137/2016 ......................................./राँची, दिनांकः ...................**
प्रतिलिपिः माननीय मंत्री महोदय, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–

**(राजेन्द्र प्रसाद)**
उप सचिव (अभियंत्रण)

**पत्रांकः–3/पी०एम०सी०/कार्य/137/2016** 03/18-19 प्र·खं/**राँची, दिनांकः** 26.04.2018
प्रतिलिपिः वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग राँची को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर Upload करने हेतु प्रेषित।

26/04/2018
**(राजेन्द्र प्रसाद)**
उप सचिव (अभियंत्रण)
26/04/18